UPSD040004122020

Warrant or Summons Criminal Case/199/2020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० नौगढ़, सिद्धार्थनगर

परिवाद सं०–199/2020

प्रीति जायसवाल बनाम अजरा परवीन आदि

धारा– 354, 323, 504 व 506 भा०दं०सं०

थाना– सिद्धार्थनगर,

जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनांक–12.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांकित–12.08.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण उक्त पत्रावली में सुलह कर लिये है, परिवादिनी द्वारा अपने 244 दं०प्र०सं० के बयान में भी घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रार्थीगण व परिवादिनी मुकदमा लड़ना नहीं चाहते है।अतः धारा– 245(2) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत विपक्षीगण को मुकदमा उपरोक्त से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–1– प्रीति जायसवाल का बयान अन्तर्गत धारा–244 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।

साक्षी पी०डब्लू०–1 प्रीति जायसवाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–244 दं०प्र०सं० दिनांक–28.07.2026 को अंकित किया गया, जिसमें उसने कथन किया है कि " दिनांक 12.01.2020 को रात 09.00 बजे मेरे घर में कुछ अज्ञात व्यक्ति एकराय गोलबन्द होकर मेरे घर में आये और मेरा बाल खीचकर जमीन पर पटक दिये। मेरे साथ छेड़खानी किये। उस समय मेरे घर की लाइट चली गयी थी। काफी अन्धेरा मेरे कमरे में था। इसलिए मैं देख नहीं पायी कि किन व्यक्तियों द्वारा मेरे साथ मारपीट व छेड़खानी की गयी। आस–पडोस के बताने के अनुसार मैंने उक्त लोगों के नाम से परिवार दाखिल कर दिया था। बार में मेरे रिश्तेदारों द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग घटना के समय नौगढ़ नहीं गये थे न ही इस प्रकार की कोई घटना कारित किये है। जैसे ही मुझे जानकारी हुई हम विपक्षीगण को बुलाकर सुलहनामा दाखिल कर दिये। ''

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होता है कि **पक्षकारों के मध्य सुलह हो गया है। सुलहनामा पत्रावली में दाखिल हो चुका है।** परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–244 दं०प्र०सं में अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कथन नहीं किया गया है, न तो अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा परिवादी ने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि धारा–244 दं०प्र०सं के तहत कोई अन्य साक्ष्य नहीं देना है। अतः अभियुक्त को धारा– 245(2) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत उन्मोचित किया जाना परम आवश्यक है ।

Digitally signed by PRIYAMVADA PRIYADARSHINI
Date: 2026.08.12 16:50:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अजरा परवीन, परवेज हसन, शोएब हसन, वजीउल्लाह व रेयाज अहमद द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा–245(2) दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके द्वारा दाखिल प्रतिभू व बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्यों से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(प्रियंवदा प्रियदर्शिनी)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
नौगढ, सिद्धार्थनगर
जे०ओ०कोड–यू०पी० 3435